

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 346]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 जून 2022—आषाढ़ 7, शक 1944

पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2022

क्रमांक 1604-आर.2694-2020-पैंतीस.—पशुपालन एवं डेयरी विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1158-आर. 2694-2020-पैंतीस, दिनांक 5 मई 2021 द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अन्तर्गत धारा 65 के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार एवं मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 1993 के नियम 3 के उपनियम (7) के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन हेतु डॉ. आर. के. मेहिया, संयुक्त संचालक, संचालनालय, पशुपालन मध्यप्रदेश, भोपाल को निर्वाचन अधिकारी एवं डॉ. एस. डी. खरे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, पशुपालन विभाग को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था.

2. राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हेतु डॉ. पी. एस. पटेल, संयुक्त संचालक, संचालनालय, पशुपालन मध्यप्रदेश, को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

No. 1604-R-2694-2020-XXXV.—In exercise of powers conferred by the Section 65 of Veterinary Council Rules, 1984 (52 of 1984), the State Government of Madhya Pradesh *Vide* Notification No. 1158-R-2694-2020-XXXV, date 5th May 2021 Designated Dr. R. K. Mehia, Joint Director, Directorate Animal Husbandry, Bhopal as a Returning Officer and Dr. S. D. Khare, OSD, Department of Animal Husbandry, and Dairy Bhopal as a Assistant Returning Officer for the purpose of said rules.

2. The State Government of Madhya Pradesh hereby, making Partial amendments in the said Notification Dr. P. S. Patel, Joint Director, Directorate, Animal Husbandry, Bhopal as a Returning Officer.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव.